न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नीरवाल बनाम गौ. (ग्राम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रा०पत्र ० R13CPC प्रा.न. - 94/2017	
16.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.02 11:06:51 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
94 / 2017	2017 / 0231	01.08.2017	16.01.2024

उनवान

1. बीरबल
2. बनवारी
3. पोखर
4. गिरधारी

पुत्रगण मंगलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रार्थीगण––

बनाम्

1. भैरूराम पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी कुआं अहीरावाला तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (मृत्तक के स्थान पर)

   1/1 श्रीमती तींजा देवी पत्नी स्व0 भैंरूराम

   1/2 गोदाराम पुत्र स्व0 भैंरूराम

   1/3 मोहन पुत्र स्व0 भैंरूराम

   1/4 सुभाष पुत्र स्व0 भैंरूराम

2. रामकुंवार पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी कुआं अहीरावाला तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. धन्ना पुत्र मांगू
4. झिमकी पत्नी धन्ना

समस्त जाति जाट निवासी कुआं अहीरावाला तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

5. पटवारी हल्का सिमारला जागीर।
6. उप पंजीयक, श्रीमाधोपुर।
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।

——अप्रार्थीगण——

8. घीसा पुत्र हुक्माराम
9. गोमा पुत्र हुक्माराम

जाति जाट, निवासीगण ढ़ाणी कुड़ीवाली तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

10. सुरजी बेवा मांगू
11. सन्ती देवी पत्नि स्व0 रामकरण
12. राजेश पुत्र स्व0 रामकरण
13. शिम्भूदयाल पुत्र स्व0 रामकरण
14. भागीरथ पुत्र श्योदान
15. बल्ला पुत्र श्योदान
16. फूली देवी बेवा बोदूराम
17. सीताराम पुत्र बोदूराम
18. गोपाल पुत्र बोदूराम
19. झिमकू पुत्री बोदूराम

समस्त जाति गूर्जर निवासीगण ढ़ाणी गूर्जरावाली तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

20. मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक शाखा रींगस।
21. मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली।
22. भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीमाधोपुर।

——तरतीबी अप्रार्थीगण—

उपस्थित—
श्री दिलीप मंगावा एड0, प्रार्थीगण अ[illegible]
श्री रामावतार सैनी प्रथम [illegible] 1, 2 की ओर से
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] सं. 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested

(वि[illegible] सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत निरस्त किये जाने एक पक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 02.11.2012 बमुकदमा दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी भैरूंराम वगै0 बनाम् घीसा वगै0 मुकदमा संख्या 66/2005 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांकित 02.11.2012 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण भैरूराम बनाम घीसा वगै0 मुकदमा नम्बर 66/2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 213, 240, 241, 242 कुल किता 4 कुल रकबा 3.89 हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर हिस्सा 2/3 के 7/8 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 213 में बने चाह कुआ व इसमें लगे विधुत कनेक्शन, विधुत पम्पिंग सैट सम्पूर्ण के प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार घीसा, गोमा पुत्रगण हुक्मा जाति जाट से जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 25.07.1995 के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में बाला–बाला दावा उनवानी भैरूं बनाम घीसा वगै0 दावा संख्या 66/2005 प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थीगण के विरूद्ध बाला बाला गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थीगण को बिना कोई सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये न्यायालय को मुगालता देकर दिनांक 02.11.2012 को एकपक्षीय निर्णय व डिकी पारित करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 2.61 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर भूमि जो [illegible] सीमा में खसरा नम्बर 215 के सहारे पूर्व पश्चिम 266 मीटर, पश्चिमी सीमा [illegible]र दक्षिण 18 मीटर व पूर्वी सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) (Dilip Singh)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उत्तर दक्षिण 11 मीटर बाबत अवैधानिक तरीके से बिना किसी स्वामित्व व बिना अधिकार एंव बिना किसी कब्जा काश्त के करवाई जाकर गैर कानूनी तरीके से भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2012 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होकर निरस्तनीय है। राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील नीमकाथाना के खसरा नम्बर 213, 240, 241, 242 कुल किता 4 कुल रकबा 3.89 हैक्टर में हिस्सा 2/3 के 7/8 हिस्से एंव खसरा नम्बर 213 में बने चाह कुआं व इसमें लगे विधुत कनेक्शन व विधुत पम्पिंग सैट सम्पूर्ण के प्रार्थीगण भूमि के खातेदार घीसा, गोमा पुत्रगण हुक्मा जाति जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 25.07.1995 के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में बाला-बाला दावा उनवानी भैरूं बनाम घीसा वगै0 दावा संख्या 66/2005 प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थीगण के विरूद्ध बाला बाला गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थीगण को बिना कोई सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये न्यायालय को मुगालता देकर दिनांक 02.11.2012 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी तथा उसके आधार पर अवैधानिक तरीके से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने आपस में साज व षड़यत्र रचकर प्रार्थीगण के पास दावा हाजा का सम्मन कोई तामिल कुनिन्दा लेकर घर पर नहीं गया तथा ना ही डाक कर्मचारी रजिस्ट्री लेकर गया। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से रजिस्ट्री पर रिपोर्ट इन्कारी बाबत करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाई गई है। दावा हाजा की आदेशिका दिनांक 06.06.2007 के अनुसार प्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से नही होना अंकित करके पुनः सम्मन तलबाना प्रस्तुत करने बाबत आदेश किया गया। इसके बाद दावा हाजा की आदेशिकाओं के अनुसार दिनांक ... को प्रार्थीगण की तामिल रजिस्ट्री से करवायी जावे। इसके बावजूद न्यायालय के बिना कोई तामिल रजिस्ट्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

16/01/24
(... सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के आदेश के ही रजिस्ट्री दिनांक 24.10.2007 को डाक में लगाकर अप्रार्थीगण ने डाक कर्मचारी से साज करके गलत रिपोर्ट रजिस्ट्री पर इन्कारी बाबत करवाकर दावा हाजा में प्रार्थीगण की बिना सम्यक तामिल हुये ही गलत तरीके से प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय को मुगालता देकर पारित करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी गयी है, जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है तथा यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनिय है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि के रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर खरीद की गयी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का है जिससे अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 को काई संबंध या सरोकार नही है। इसलिए एक पक्षीय निर्णय व डिक्री जो न्यायालय को मुगालता देकर पारित करवायी गयी है। उसको अपास्त किया जाकर दावा हाजा में प्रार्थीगण को जवाब देही व सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है अन्यथा उनके हितो पर कुठाराघात होना तथा अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपास्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 4 द्वारा न्यायालय को मुगालता देकर पारित करवायी गयी अवैध एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को कोई जानकारी नही हो सकी परन्तु प्रार्थीगण ने जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताने तथा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री व पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाने हेतु आवेदन पेश करने तथा दिनांक 26.07.2017 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर जानकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2012 को अपास्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड की दावा दायरी से पूर्व की स्थिति बहाल करवायी जाकर दावा मूल नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व जवाब देही व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

विधि सम्मत तरीके से गुणावगुण के आधार पर वादपत्र का निस्तारण किया जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं 5, 6, 7, 12, 17, 19, 20 से 22 की तामील असालतन व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4, 8 से 11, 13, 15 व 16 की तामील परिवार के निकटतम सदस्य द्वारा सम्मन प्राप्त करने एवं अप्रार्थीगण नम्बर 14 व 18 की सम्मन तामील इन्कारी मय चस्पान्दगी दो गवाहान के हस्ताक्षरों सहित होकर लौटने से तामील पर्याप्त होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की ओर से श्री रामावतार सैनी–प्रथम एड0 ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी बाबत अप्रार्थी नम्बर 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किए जाने का पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 रामकुंवार पुत्र नानूराम अहीर के विरूद्ध दिनांक 13.12.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश मंसुख किये जाने का प्रार्थना पत्र 19.01.2018 को स्वीकार किये जाने बाबत उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र मंसूखी को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर दिये जाने पर वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2022 का पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम वारिसान की ओर से श्री रामावतार सैनी–प्रथम एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय 151 सीपीसी का पेश किया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की गई।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दो[illegible] कथन किया कि राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] खसरा नम्बर 213, 240, 241, 242 कुल किता 4 कुल [illegible] में हिस्सा 2/3 के 7/8 हिस्से एंव खसरा नम्बर 213 में बने चाह कुआं व इसमें लगे विधुत कनेक्शन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

विधुत पम्पिंग सैट सम्पूर्ण के प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार घीसा, गोमा पुत्रगण हुक्मा जाति जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 25.07.1995 के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में बाला–बाला दावा उनवानी भैरूंराम बनाम घीसा वगै0 दावा संख्या 66/2005 प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थीगण के विरूद्ध बाला–बाला गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थीगण को बिना कोई सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये न्यायालय को मुगालता देकर दिनांक 02.11.2012 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 2.61 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर भूमि जो दक्षिणी सीमा में खसरा नम्बर 215 के सहारे पूर्व पश्चिम 266 मीटर, पश्चिमी सीमा उत्तर दक्षिण 18 मीटर व पूर्वी सीमा उत्तर दक्षिण 11 मीटर की बाबत अवैधानिक तरीके से बिना किसी स्वामित्व व बिना अधिकार एंव बिना किसी कब्जा काश्त के करवाई जाकर गेर कानूनी तरीके से भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई है। जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होकर निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने आपस में साज व षड़यत्र रचकर प्रार्थीगण के पास दावा हाजा का सम्मन कोई तामिल कुनिन्दा लेकर घर पर नहीं गया तथा ना ही डाक कर्मचारी रजिस्ट्री लेकर गया। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से रजिस्ट्री पर रिपोर्ट इन्कारी बाबत करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाई गई है। दावा हाजा की आदेशिका दिनांक 06.06.2007 के अनुसार प्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से नही होना अंकित करके पुनः सम्मन तलबाना प्रस्तुत करने बाबत आदेश दिया गया। इसके बाद दावा हाजा की आदेशिकाओं के अनुसार ऐसा कोई आदेश नही कि प्रार्थीगण की तामिल रजिस्ट्री से करवायी जावे। इसके बावजूद बाधित बिना कोई तामिल रजिस्ट्री के आदेश के ही रजिस्ट्री दिनांक 24.10.2007 को डाक में लगाकर अप्रार्थीगण ने डाक कर्मचारी से साज करके गलत रिपोर्ट रजिस्ट्री पर इन्कारी बाबत करवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दावा हाजा में प्रार्थीगण की बिना सम्यक तामिल हुये ही गलत तरीके से प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय को मुगालता देकर पारित करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी गयी है। जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है तथा यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनिय है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिस बाबत न्यायालय को मुगालता में रखकर वास्तविकता को छुपाते हुए गलत तरीके से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2012 पारित करवाई जो अपास्त योग्य होने से राजस्व रिकार्ड की दावा दायरी से पूर्व की स्थिति बहाल करवाई जाकर दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का निवेदन अपनी लिखित बहस में किया है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आर.आर.टी. 2007 (2) पेज नम्बर 954
2. आर.आर.टी. 2004 (2) पेज नम्बर 1335
3. आर.आर.टी. 2008 (2) पेज नम्बर 1320
4. आर.आर.टी. 2004 (1) पेज नम्बर 205

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.07.1995 को खसरा नम्बर 213, 240, 241, 242 कुल किता 4 कुल रकबा 3.89 हैक्टर में हिस्सा 2/3 के 7/8 हिस्सा घीसा व गोमा से खरीदने के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जे काश्त में रही भूमि से प्रार्थीगण का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं रहा हैं। [illegible] मुकदमा नम्बर 66/2005 भैरू बनाम् घीसा वगैरह में दिनांक 02.11.2012 को [illegible] विधिवत रूप से वादी भैरू द्वारा अपने वादपत्र को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने पर ही न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की थी। जिसमें हस्तक्षेप करने या डिक्री को चुनौति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

देने का प्रार्थीगण को किसी तरह का कोई अधिकार नही है। डिक्री को मुताबिक उत्तरदाता/अप्रार्थी दायरी दावा मुकदमा नम्बर 66/2005 को पहले से ही मौके पर काबिज चले आ रहे है जो आज भी मौके पर यथावत काबिज है। सम्पूर्ण विधिक प्रकिया पूर्ण करके उत्तरदाता/अप्रार्थीगण द्वारा अपना वादपत्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से विधि अनुसार ही सिद्ध कर देने पर ही न्यायालय ने उत्तरदाता/अप्रार्थी के पक्ष में उनके हको व अधिकारो बाबत डिक्री पारित की थी। दिनांक 06.06.2007 को प्रार्थी पर हुयी तामील को सम्यक रूप से तामील होना मानकर आदेशिका दिनांक 06.06.2007 के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई डिक्री पारित नही की बल्कि न्यायालय के आदेशो से व प्रकरण हाजा के प्रार्थीगण द्वारा बार–बार नोटिस जारी होने के बाद भी तामील कुनिन्दा से साज करके नोटिस अदम तामील भिजवाने की सूरत में न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा प्रार्थीगण की तामील रजिस्ट्री से प्रेषित की गयी थी। जो प्रार्थीगण द्वारा लेने से स्पष्ट रूप से इन्कार करने पर पोस्टमैन द्वारा रजिस्ट्री पर लेने से इन्कार के नोट के साथ वापस करने की रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट होकर ही न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 05.12.2007 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। इसलिये प्रतिवादी रामकरण पुत्र मांगू, सुरजी पत्नी मांगू, भागीरथ पुत्र श्योदान व बल्ला पुत्र श्योदान जिनकी रजिस्ट्री भी प्रार्थीगण के साथ ही न्यायालय द्वारा प्रेषित की गयी थी के भी इन्कारी से तामील होकर डिक्री विधिवत रूप से पारित होने से उन्होने उक्त डिक्री को कभी कोई चुनौति नही दी। तामील रिपोर्ट पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के नोटिस लेने से इन्कार करने पर ही पोस्टमैन ने रजिस्टर्ड लिफाफे पर लेने से इन्कार होने का नोट लगाकर भिजवाये जाने पर ही दिनांक 05.12.2007 को एकपक्षीय आदेश पारित किये गये थे। जिसको अब बदनियति से अवधि बाधित आवेदन से अपास्त करवाने का प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वादपत्र के समय प्रथम सैटलमेन्ट के अनुसार रेकार्ड से 0.39 हैक्टर [illegible] थी तथा उक्त प्रार्थीगण व इनके पूर्व खातेदारो ने रिकार्ड [illegible] अप्रार्थीगण के कब्जेशुदा 0.39 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 213 दक्षिण दिशा की भूमि थी व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 215 की भूमि होकर रकबे के हिसाब से गलत रूप से खसरा नम्बर 213 मे अंकित हुयी थी बाबत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीमकायाना)

उक्त खसरा नम्बर 215 की 0.39 हैक्टर भूमि का रकबा गलत रूप से खसरा नम्बर 213 में समाहित होने का तथ्य साबित करने पर न्यायालय ने पूर्ण विवेचन करते हुये डिक्री पारित की गई थी। विवादित डिक्री से प्रार्थीगण के कभी कोई हित प्रभावित नही हुये है, ना ही हो सकते हैं। प्रार्थी दिनांक 25.07.1995 को भूमि खरीदकर जहां काबिज हुआ था उसी स्थिति में आज दिन तक मौके पर काबिज है। तत्कालीन वाद मुकदमा नम्बर 66/2005 के प्रतिवादी घीसा द्वारा अपनी खसरा नम्बर 213 की भूमि में से अप्रार्थीगण को 0.29 हैक्टर भूमि को बैचान कर विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2015 को निष्पादित करवा देने से प्रार्थीगण बीरबल वगैरह की अप्रार्थीगण से रंजिश हो गयी तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त 1–1/2 बीघा भूमि अप्रार्थीगण से लेना चाहा जिसके लिये अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया इसलिये अप्रार्थीगण पर दबावा बनाने के लिये जान बूझकर 5 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश किया है जो विशेष हर्जे–खर्चे से खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 व 2 ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर.एल.डब्ल्यू. 2009 (2) पेज नम्बर 1760
2. डब्ल्यू.एल.सी. 2008 (3) पेज नम्बर 2011
3. आर.एल.डब्ल्यू. 2017 (2) पेज नम्बर 1131
4. आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (4) पेज नम्बर 3365
5. आर.एल.डब्ल्यू. 2022 (3) पेज नम्बर 1821

हमनें वकुलाए उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2056–2059, 2064–2067, 2072–2075, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 25.07.1995, इकरारनामा, विक्रय प्रतिज्ञा लेख, दावा संख्या 66/2005 उनवानी प्रकरण भैरूराम बनाम् घीसा वगै0 की समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(नीमकाथाना)

आदेशिका, मूल वादपत्र, निर्णय व डिक्री दिनांकित 02.11.2012, प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामीलात इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी से सम्बन्धित मूल वाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 की तामील सर्वप्रथम आगामी पेशी 13.06.2005 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाह के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाई जाकर गवाह के हस्ताक्षर से होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह सांवरमल पुत्र मालीराम, निवासी ढ़ाणी काकंडवाली तन् जलालपुर का नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखा है। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण की पुनः तामील दूसरी बार आगामी पेशी 18.04.2006 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाहान् के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाई जाकर गवाहों के हस्ताक्षरों से होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह गोपाल व किशनाराम के नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखे होना प्रकट होता है। इसके उपरान्त पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक से आगामी पेशी 27.11.2007 के लिए भिजवाई जाना तथा उक्त तामीलें रजिस्ट्री इन्कारी से होने के आधार पर प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 05.12.2007 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। उक्त सम्मन तामीलों के सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के पास दावा हाजा का सम्मन कोई तामिल कुनिन्दा लेकर घर पर नहीं गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से रजिस्ट्री पर रिपोर्ट इन्कारी बाबत करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाई गई है जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पास न्यायालय द्वारा दो बार तहसील कार्यालय के माध्यम से सम्मन तामीले भिजवाई गई है तथा दोनों ही बार चस्पान्दगी मय गवाहान् के हस्ताक्षरों से आना तथा इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा पुनः जरिये [illegible] भिजवाया जाना प्रकट होता है। जिसमें रजिस्टर्ड डाक [illegible] के डाक विभाग के कर्मठ कर्मचारी के द्वारा सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता को डाक [illegible] अदायगी की जाती है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता को ही दी जाती है। सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता द्वारा डाक नहीं लेने की स्थिति में ही उस पर इन्कारी का नोट अंकित किया जाता है। वकील प्रार्थीगण का यह कथन कि डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से रजिस्ट्री पर रिपोर्ट इन्कारी बाबत रिपोर्ट करवाया जाना सन्देहास्पद प्रतित होता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा सरकारी काम काज में किसी भी प्रकार की साज करना प्रकट नहीं होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार **प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना**-- *किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहॉ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा;*

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित की गई एक पक्षीय डिक्री में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामीलात पर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तामीलों का अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघंन होने या नहीं होने व प्रतिवादीगण को विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के [illegible] है या नहीं इस सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना है। जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 की पालना की गई है या नहीं इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में अन्तिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हस्तगत प्रकरण में तामीलात का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील करवाया जाना प्रकट होता है। तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादीगण के घर पर जाकर उसके पश्चिमी झांकते मकान पर सम्मन को चस्पा किया जाना तथा तामील के पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम व गवाहान् के हस्ताक्षर होना तथा इसके उपरान्त न्यायालय द्वारा पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाया जाना प्रकट होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तामील कुनिन्दा व डाक विभाग के सरकारी कार्मिक के द्वारा समुचित व वैधानिक तरीके से तामील करायी जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)